अनुबंध 6

<u>ऋण जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना के लिए जोखिम भारिता</u>

ए. वित्त पोषित जोखिम आस्ति

क्र.	मद	जोखिम भरिता
I	**शेष**	
1.	नकदी, आरबीआई के पास जमा शेष	0
2.	i. अन्य बैंकों के पास चालू खाते में जमा शेष	20
	ii. बैंक पर दावे	20
II	**निवेश (एचटीएम में धारित प्रतिभूतियों पर लागू)**	
1.	सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	0
2.	केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों में निवेश टिप्पणी: मद संख्या 2, 4 और 6 में शामिल सरकारी गारंटीकृत प्रतिभूतियां यदि 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए चूक वाली स्थिति में बनी हुई हैं तो बैंक उन्हें 100 प्रतिशत जोखिम भरिता प्रदान करेंगे। तथापि, बैंक केवल उन राज्य सरकार द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों पर 100 प्रतिशत जोखिम भारिता प्रदान करेंगे जो चूककर्ता संस्थाओं द्वारा जारी की गई हैं, न कि उस राज्य सरकार द्वारा जारी या गारंटी प्राप्त सभी प्रतिभूतियों पर।	0
3.	अन्य प्रतिभूतियों में निवेश जहां ब्याज के भुगतान और मूलधन के पुनर्भुगतान की गारंटी केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है (इसमें इंदिरा/किसान विकास पत्र (आईवीपी/केवीपी) में निवेश और बांड और डिबेंचर में निवेश शामिल होगा जहां केंद्र सरकार द्वारा ब्याज और मूलधन के भुगतान की गारंटी है)	0
4.	अन्य प्रतिभूतियों में निवेश जहां ब्याज के भुगतान और मूलधन के पुनर्भुगतान की गारंटी राज्य सरकारों द्वारा दी जाती है।	0

5.	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश जहां ब्याज का भुगतान और मूलधन की चुकौती की गारंटी केंद्र/राज्य सरकार द्वारा नहीं दी जाती है।	20
6.	सरकारी उपक्रमों की सरकारी गारंटीकृत प्रतिभूतियों में निवेश जो अनुमोदित बाजार उधार कार्यक्रम का हिस्सा नहीं हैं।	20
7.	वाणिज्यिक बैंकों पर दावा।	20
8.	अन्य बैंकों द्वारा जारी बांडों में निवेश	20
9.	प्रतिभूतियों में निवेश जो बैंकों द्वारा ब्याज के भुगतान और मूलधन के पुनर्भुगतान के रूप में गारंटीकृत हैं।	20
10.	अन्य बैंकों या सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा उनकी टियर II पूंजी के लिए जारी अधीनस्थ ऋण लिखतों और बांडों में निवेश।	100
11.	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने में कमी के एवज में सिडबी/नाबार्ड/एनएचबी में जमाराशियां।	100
12.	आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) की आवासीय परिसंपत्तियों की बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश, जिन्हें राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त और पर्यवेक्षण किया जाता है (अनुबंध 6.2 में दिए गए संतोषजनक नियमों और शर्तों के अधीन)।	50
13.	बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश जो 50% जोखिम भार के लिए अर्हता प्राप्त आवास ऋण द्वारा समर्थित हैं।	50
14.	अवसंरचना सुविधा से संबंधित प्रतिभूतिकृत कागज में निवेश। (अनुबंध 6.3 में दिए गए संतोषजनक नियमों और शर्तों के अधीन)।	50
15.	प्रतिभूतिकरण कंपनी/ एसपीवी/ पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी डिबेंचरों/ बांडों/ सुरक्षा रसीदों/ पास थ्रू प्रमाणपत्रों में निवेश और बैंकों द्वारा निवेश के रूप में धारित	100
16.	पीएफआई द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश सहित अन्य सभी निवेश। **नोट:** सहायक कंपनियों में इक्विटी निवेश, अमूर्त संपत्ति और टीयर I पूंजी से घटाई गई हानियों को शून्य भार दिया जाएगा।	100
17.	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश, जिनमें पूंजी बाजार एक्सपोजर से छूट प्राप्त है	125
18.	गिरवी समर्थित प्रतिभूतियों में निवेश और वाणिज्यिक रियल एस्टेट में अन्य प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर	150
19.	वेंचर कैपिटल फंड में निवेश	150
20.	एसपीवी द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश (के संबंध में मानक आस्तियों का प्रतिभूतिकरण) तीन महीने की निर्धारित अवधि के दौरान मूल बैंकों पर हामीदारी और हस्तांतरण	100

21.	एसपीवी द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश (के संबंध में मानक आस्तियों का प्रतिभूतिकरण) तीन महीने की निर्धारित अवधि के दौरान तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाता के रूप में बैंक को हस्तांतरित	100
22.	अन्य बैंकों से खरीदा गया एनपीए निवेश	100
23.	एनबीएफसी-एनडी-एसआई द्वारा जारी लिखतों में निवेश	100
III	खरीदे और भुनाए गए बिलों और अन्य क्रेडिट सुविधाओं सहित **ऋण और अग्रिम**	
1.	भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण। **नोट:** एनसीजीटीसी के तहत व्यक्तिगत योजनाएं जो स्पष्ट केंद्र सरकार की गारंटी द्वारा समर्थित हैं और एलएबी के लिए लागू हैं, इस श्रेणी में शामिल हैं।	0
2.	राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत ऋण **नोट:** यदि राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत ऋण 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए चूक में रहे हैं, तो 100 प्रतिशत का जोखिम भार लगाया जाएगा।	0
3.	भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दिए गए ऋण	100
4.	राज्य सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दिए गए ऋण	100
5(i)	क्रेडिट एक्सपोजर के प्रयोजन के लिए, खरीदे गए/ भुनाए गए बिल/ एलसी के तहत परक्रामित (जहां लाभार्थी को भुगतान रिजर्व के तहत नहीं है) को एलसी जारी करने वाले बैंक पर एक एक्सपोजर के रूप में माना जाता है और जोखिम भार सौंपा जाता है जैसा कि आमतौर पर अंतर-बैंक एक्सपोजर पर लागू होता है।	20
(ii)	एलसी 'अंडर रिजर्व' के तहत परक्रामित बिल, एलसी के बिना खरीदे/ भुनाए गए/ परक्रामित बिल, को उधारकर्ता घटक पर एक्सपोजर के रूप में माना जाएगा। तदनुसार, उधारकर्ता के लिए एक्सपोजर पर उपयुक्त जोखिम भार होगा।	
	(i) सरकार	0
	(ii) बैंक	20
	(iii) अन्य	100
6.	पीएफआई सहित अन्य	100
7.	पट्टे पर दी गई आस्तियां	100
8.	डीआईसीजीसी/ईसीजीसी द्वारा कवर किए गए अग्रिम **नोट:** 50% का जोखिम भार गारंटीकृत राशि तक सीमित होगा न कि खातों में संपूर्ण बकाया राशि तक। दूसरे शब्दों में, गारंटीकृत राशि से अधिक बकाया राशि पर 100% जोखिम भार होगा।	50

<table>
<tr><td>9.</td><td>माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज (MSE) गारंटीकृत हिस्से तक माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTMSE) के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट द्वारा गारंटीकृत अग्रिम।
नोट: बैंक गारंटीकृत हिस्से के लिए शून्य जोखिम भार निर्धारित करेंगे। गारंटीकृत हिस्से से अधिक बकाया शेष राशि पर प्रतिपक्ष के लिए उपयुक्त जोखिम भार होगा। अनुबंध 6.1 में दो उदाहरणात्मक उदाहरण दिए गए हैं।</td><td>0</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के उत्पाद बिजनेस क्रेडिट शील्ड के तहत बीमा कवर (अनुबंध 6.4 में निर्धारित शर्तों के अधीन)
नोट: 50% का जोखिम भार गारंटीकृत राशि तक सीमित होगा न कि खातों में संपूर्ण बकाया राशि तक। दूसरे शब्दों में, गारंटीकृत राशि से अधिक बकाया राशि पर 100% जोखिम भार होगा।</td><td>50</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>जहां पर्याप्त मार्जिन उपलब्ध है वहां मीयादी जमाराशियों, जीवन बीमा पॉलिसियों, एनएससी, आईवीपी और केवीपी पर अग्रिम ।</td><td>0</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>बैंकों के कर्मचारियों को दिए गए ऋण और अग्रिम जो पूरी तरह से सेवानिवृत्ति लाभों और फ्लैट/घर के बंधक के अंतर्गत आते हैं।</td><td>20</td></tr>
<tr><td>13.</td><td colspan="2">
<table>
<tr><th>ऋण की श्रेणी</th><th>एलटीवी अनुपात (%)</th><th></th></tr>
<tr><td>(क) व्यक्तिगत आवास ऋण</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(i) 20 लाख रूपये तक</td><td>90</td><td>50</td></tr>
<tr><td>(ii) 20 लाख रूपये से अधिक और 75 लाख रूपये तक</td><td>80</td><td>50</td></tr>
<tr><td>(iii) 75 लाख रूपये से अधिक</td><td>75</td><td>75</td></tr>
<tr><td>(ख) वाणिज्यिक स्थावर संपदा – रेसीडेंशियल आवास (सीआरई -आरएच)</td><td>लागू नही</td><td>75</td></tr>
<tr><td>(ग) वाणिज्यिक स्थावर संपदा (सीआरई)</td><td>लागू नही</td><td>100</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>14</td><td>कम आय वाले आवास (सीआरजीएफटीएलआईएच) के लिए क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट द्वारा गारंटीकृत हिस्से तक आवास ऋण की गारंटी।
नोट: बैंक गारंटीकृत हिस्से के लिए शून्य जोखिम भार निर्धारित करेंगे। गारंटीकृत हिस्से से अधिक बकाया शेष राशि पर प्रतिपक्ष के लिए उपयुक्त जोखिम भार होगा।</td><td>0</td></tr>
<tr><td>15.</td><td>व्यक्तिगत ऋण सहित उपभोक्ता ऋण</td><td>100</td></tr>
<tr><td>16</td><td>क्रेडिट कार्ड प्राप्तियां</td><td>125</td></tr>
<tr><td>17</td><td>शैक्षिक ऋण</td><td>100</td></tr>
<tr><td>18</td><td>सोने और चांदी के गहनों पर ₹1 लाख तक का ऋण</td><td>50</td></tr>
<tr><td>19</td><td>अंतरण वित्तपोषण</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>(i) बिना शर्त अधिग्रहण (उधार देने वाली संस्था की बहियों में)
(क) जहां अधिग्रहण करने वाली संस्था द्वारा पूर्ण ऋण जोखिम ली जाती है</td><td>20</td></tr>
</table>

	(ख) जहां अधिग्रहण करने वाली संस्था द्वारा आंशिक ऋण जोखिम ली जाती है (i) अधिग्रहण की जाने वाली राशि (ii) अधिग्रहण न की जानेवाली राशि	20 100
	(ii) सशर्त अधिग्रहण (ऋण देने और लेने वाली संस्था की बहियों में)	100
20.	सीएमई मानदंड से छूट प्राप्त सहित पूंजी बाजार एक्सपोजर (सीएमई)	125
21.	वाणिज्यिक अचल संपत्ति के लिए फंड आधारित एक्सपोजर* वाणिज्यिक अचल संपत्ति के लिए निधि आधारित एक्सपोजर-आवासीय आवास (सीआरई-आरएच)@	100 75
22.	मानक परिसंपत्ति लेनदेन के प्रतिभूतिकरण के लिए वित्त पोषित चलनिधि सुविधा	100
23.	दूसरे बैंकों से खरीदा गया एनपीए	100
24.	एनबीएफसी-एनडी-एसआई. को ऋण और अग्रिम	100
IV	**अन्य परिसंपत्तियां**	
1.	परिसर, फर्नीचर और फिक्सचर	100
2.	स्रोत पर काटा गया आयकर (प्रावधान का शुद्ध)	0
	भुगतान किया गया अग्रिम कर (प्रावधान का शुद्ध)	0
	सरकारी प्रतिभूतियों पर देय ब्याज	0
	सीआरआर शेष पर अर्जित ब्याज और सरकारी लेनदेन के कारण आरबीआई पर दावे (ऐसे लेनदेन के कारण बैंकों पर सरकार/आरबीआई के दावों का निवल)	0
3.	अन्य सभी संपत्तियां #	100

टिप्पणियाँ

#: (i) डेरिवेटिव ट्रेडिंग और प्रतिभूतियों के वित्तपोषण लेनदेन (जैसे रेपो) के कारण सीसीपी में बकाया एक्सपोजर को काउंटरपार्टी क्रेडिट जोखिम के लिए शून्य एक्सपोजर माना जाएगा, क्योंकि यह माना जाता है कि सीसीपी का उनके प्रतिपक्षकारों के लिए एक्सपोजर दैनिक आधार पर पूरी तरह से संपार्श्विकीकृत है, जो इस प्रकार सीसीपी के ऋण जोखिम जोखिम के लिए सुरक्षा प्रदान करता है;

(ii) बैंकों द्वारा सीसीपी में रखी गई जमाराशियों/संपार्श्विक पर सीसीपी की प्रकृति के अनुसार उपयुक्त जोखिम भार लगेगा। सीसीआईएल के मामले में जोखिम भार 20 प्रतिशत होगा।

***:** एक्सपोजर के लिए एक से अधिक श्रेणियों में एक साथ वर्गीकृत होना संभव है, क्योंकि विभिन्न वर्गीकरण अलग-अलग विचारों से प्रेरित होते हैं। ऐसे मामलों में, एक्सपोजर को उन सभी श्रेणियों के लिए, जिन्हें एक्सपोजर निर्दिष्ट किया गया है, आरबीआई द्वारा या स्वयं बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक/विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमा, यदि कोई हो, के लिए एक्सपोजर की गणना की जाएगी। पूंजी

पर्याप्तता के प्रयोजन के लिए, सभी श्रेणियों में लागू जोखिम भारों में से सबसे बड़ा जोखिम एक्सपोजर के लिए लागू होगा।

@: वाणिज्यिक अचल संपत्ति - रेसीडेंशियल आवास (सीआरई-आरएच) में सीआरई खंड के तहत रेसीडेंशिल आवास परियोजनाओं (कैप्टिव खपत को छोड़कर) के लिए बिल्डरों/डेवलपर्स को ऋण शामिल होंगे। ऐसी परियोजनाओं में आमतौर पर गैर-आवासीय वाणिज्यिक अचल संपत्ति शामिल नहीं होगी। हालाँकि, कुछ व्यावसायिक स्थान (जैसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्कूल, आदि) वाली एकीकृत आवास परियोजनाओं को भी सीआरई-आरएच के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है, बशर्ते कि रेसीडेंशियल आवास परियोजनाओं में वाणिज्यिक क्षेत्र कुल फ्लोर परियोजना के स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) के 10% से अधिक न हो। यदि मुख्य रूप से आवासीय हाउसिंग परिसर में वाणिज्यिक क्षेत्र का एफएसआई 10% की सीमा से अधिक है, तो परियोजना ऋण को सीआरई के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा न कि सीआरई-आरएच के रूप में।

किसी व्यक्ति के लिए तीसरी आवासीय इकाई के लिए बैंकों के एक्सपोजर को भी सीआरई एक्सपोजर के रूप में माना जाएगा।

बी. तुलन पत्र से इतर मदें

तुलन-पत्र से इतर मदों से जुड़े ऋण जोखिम एक्सपोजर की गणना सबसे पहले तुलन पत्र से इतर मदों के अंकित मूल्य को नीचे दी गई तालिका में दर्शाए गए अनुसार 'ऋण परिवर्तन कारक' से गुणा करके की जाएगी। इसके बाद उपरोक्त 'ए' में निर्दिष्ट संबंधित काउंटर पार्टी में दिए गए भारांक से फिर से गुणा करना होगा।

क्र.	लिखत	ऋण परिवर्तन कारक
1.	प्रत्यक्ष ऋण विकल्प उदा. ऋणग्रस्तता की सामान्य गारंटी (ऋण और प्रतिभूतियों के लिए वित्तीय गारंटी के रूप में कार्यरत स्टैंडबाय एल/सी सहित) और स्वीकृति (स्वीकृति के स्वरूप के साथ परांकन सहित)।	100
2.	कुछ लेन-देन से संबंधित आकस्मिक मदें (जैसे निष्पादन बांड, बोली बांड, वारंटी और विशेष लेनदेन से संबंधित स्टैंडबाय एल/सी)।	50
3.	अल्पकालिक स्व-परिसमापन व्यापार-संबंधी आकस्मिकताएं (जैसेदस्तावेजी क्रेडिट अंतर्निहित शिपमेंट द्वारा संपार्श्विक)।	20
4.	जहां क्रेडिट जोखिम बैंक के पास बनी रहती है वहां अवलंब सहित बिक्री और पुनर्खरीद समझौता और परिसंपत्ति बिक्री ।	100
5.	वायदा आस्तियां खरीद, वायदा आस्तियां और आंशिक रूप से भुगतान किए गए शेयर और प्रतिभूतियां, जो कुछ आहरण द्वारा कमी के माध्यम से प्रतिबद्धताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।	100
6.	नोट जारी करने की सुविधा और परिक्रामी हामीदारी सुविधाएं।	50
7.	एक वर्ष से अधिक की मूल परिपक्वता वाली अन्य प्रतिबद्धताएं (उदा., औपचारिक स्टैंडबाय सुविधाएं और क्रेडिट लाइन)।	50
8.	एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता वाली समान प्रतिबद्धताएं, या जिन्हें किसी भी समय बिना शर्त रद्द किया जा सकता है।	0
9.	मूल परिपक्वता के कुल बकाया विदेशी मुद्रा अनुबंध-	
	• एक वर्ष से कम	2
	• प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष या उसके भाग के लिए	3
10.	अंतरण वित्त संस्था के अधिग्रहण की बहियों में	
	(i) बिना शर्त अंतरण वित्त	100
	(ii) सशर्त अंतरण वित्त	50
	नोट: चूंकि काउंटर-पार्टी एक्सपोजर जोखिम भार निर्धारित करेगा, यह सभी उधारकर्ताओं के संबंध में 100 प्रतिशत या सरकारी गारंटी द्वारा कवर किए जाने पर शून्य प्रतिशत होगा।	
11.	वाणिज्यिक अचल संपत्ति के लिए गैर-निधिक एक्सपोजर	150

12.	सीएमई मानदंडों से छूट प्राप्त सहित गैर-निधि पूंजी बाजार एक्सपोजर	125
13.	मानक परिसंपत्ति लेनदेन के प्रतिभूतिकरण के लिए चलनिधि सुविधा प्रदान करने की प्रतिबद्धता	100
14.	तृतीय पक्ष द्वारा प्रदान किए गए मानक परिसंपत्ति लेनदेन के प्रतिभूतिकरण के लिए द्वितीय हानि ऋण वृद्धि	100
15.	एनबीएफसी-एनडी-एसआई में गैर-निधिक एक्सपोजर	100

नोट: तुलन पत्रों से इतर मदों के संबंध में, गैर-बैंक प्रतिपक्षकारों के साथ निम्नलिखित लेनदेन को बैंकों पर दावों के रूप में माना जाएगा और 20% का जोखिम भार वहन करेगा।

- अन्य बैंकों की प्रति गारंटियों पर बैंकों द्वारा जारी गारंटियां।
- बैंकों द्वारा स्वीकार किए गए दस्तावेजी बिलों की पुनर्भुनाई। बैंकों द्वारा भुनाए गए बिल जिन्हें किसी अन्य बैंक द्वारा स्वीकार किया गया है, उन्हें बैंक पर एक वित्त पोषित दावे के रूप में माना जाएगा।

उपरोक्त सभी मामलों में बैंकों को पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहिए कि जोखिम वास्तव में दूसरे बैंक पर है।

सी. जोखिम भार के समनुदेशन के प्रयोजन के लिए उधारकर्ता के कुल निधिकृत और गैर-निधि एक्सपोजर की गणना करते समय, बैंक उधारकर्ता के कुल बकाया एक्सपोजर के प्रति 'समायोजन' करेंगे -

क. अग्रिम नकद मार्जिन या जमा द्वारा संपार्श्विक;

ख. चालू या अन्य खातों में जमा शेष जो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए निर्धारित नहीं हैं और किसी भी ग्रहणाधिकार से मुक्त हैं;

ग. किसी भी संपत्ति के संबंध में किए गए मूल्यह्रास या अशोध्य कर्ज के लिए प्रावधान;

घ. डीआईसीजीसी/ईसीजीसी से प्राप्त दावे और समायोजन लंबित एक अलग खाते में रखे गए; तथा

ङ. सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के संबंध में अग्रिमों के लिए प्राप्त सब्सिडी जिन्हें एक अलग खाते में रखा गया।

डी. खुली स्थिति के लिए जोखिम भार

क्र.	मदें	जोखिम भार (%)
1.	विदेशी मुद्रा खुली स्थिति	100
2.	सोने में खुली स्थिति **नोट**: विदेशी मुद्रा और सोने की खुली स्थिति सीमा दोनों के संबंध में जोखिम भारित स्थिति को सीआरएआर की गणना के लिए अन्य जोखिम भारित परिसंपत्तियों में जोड़ा जाएगा।	100

ई. वायदा दर करार (एफआरए)/ ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) के लिए जोखिम भार

न्यूनतम पूंजी अनुपात की गणना के लिए, एफआरए/आईआरएस के कारण जोखिम भारित आस्तियों की गणना नीचे दी गई दो चरणों की प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी:

चरण 1

प्रत्येक लिखत की काल्पनिक मूल राशि को नीचे दिए गए रूपांतरण कारक से गुणा किया जाएगा:

मूल परिपक्वता	परिवर्तन कारक
एक वर्ष से कम	0.5 प्रतिशत
एक वर्ष तथा दो वर्ष से कम	1.0 प्रतिशत
प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए	1.0 प्रतिशत

चरण 2

इस प्रकार प्राप्त समायोजित मूल्य को संबंधित प्रतिपक्ष को आवंटित जोखिम भार से गुणा किया जाएगा जैसा कि नीचे निर्दिष्ट किया गया है:

प्रतिपक्ष	जोखिम भार
बैंक	20 प्रतिशत
केंद्रीय व राज्य सरकार	0 प्रतिशत
अन्य सभी	100 प्रतिशत

एफ़. विदेशी मुद्रा अनुबंधों के लिए सीआरएआर की गणना

विदेशी मुद्रा अनुबंधों में यह शामिल हैं- क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप, फॉरवर्ड विदेशी मुद्रा अनुबंध, करेंसी फ्यूचर्स और समान प्रकृति के अन्य अनुबंध।

14 कैलेंडर दिनों या उससे कम की मूल परिपक्वता वाली विदेशी मुद्रा अनुबंध, प्रतिपक्ष के बावजूद, "शून्य" जोखिम भार सौंपा जाएगा।

अन्य तुलन पत्र से इतर मदों के मामले में, नीचे निर्धारित दो चरणों की गणना लागू की जाएगी:

(क) चरण 1 - प्रत्येक साधन की काल्पनिक मूल राशि को नीचे दिए गए रूपांतरण कारक से गुणा किया जाता है:

मूल परिपक्वता	**परिवर्तन कारक**
एक वर्ष से कम	2 प्रतिशत
एक वर्ष तथा दो वर्ष से कम	5 प्रतिशत
प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए	3 प्रतिशत

(ख) चरण 2 - इस प्रकार प्राप्त समायोजित मूल्य को संबंधित प्रतिपक्ष को आवंटित जोखिम भार आयु से गुणा किया जाएगा जैसा कि पैराग्राफ ई में चरण 2 में दिया गया है।

अनुबंध 6.1

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) द्वारा गारंटीकृत एमएसई अग्रिम – जोखिम भार

(अनुबंध 6 के पैराग्राफ (ए)(III)(9))

जोखिम-भार

उदाहरण I

सीजीटीएमएसई कवर : बकाया राशि का 75% या गैर-प्रतिभूतीकृत राशि का 75% या ₹18.75 लाख, जो भी कम हो

प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य : ₹1.50 लाख

ए) बकाया शेषराशि : ₹10.00 लाख

बी) प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य : ₹1.50 लाख

सी) गैर- जमानती राशि (ए) - (बी) : ₹8.50 लाख

डी) गारंटीकृत हिस्सा (सी का 75%) : ₹6.38 लाख

ई) कवर नहीं किया गया हिस्सा (8.50लाख – 6.38लाख) : ₹2.12 लाख

(ख) और (ड) पर जोखिम भार – काउंटर पार्टी से संबद्ध

(घ) पर जोखिम-भार – शून्य

उदाहरण II

सीजीटीएमएसई कवर : बकाया राशि का 75% या गैर-प्रतिभूतीकृत राशि का 75% या ₹18.75 लाख, जो भी कम हो

प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य : ₹10.00 लाख

क) बकाया शेष राशि : ₹40.00 लाख

ख) प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य : ₹10.00 लाख

ग) गैर-जमानती राशि (ए) - (बी) : ₹30.00 लाख

घ) गारंटीकृत हिस्सा (अधि.) : ₹18.75 लाख

ड.) कवर नहीं किया गया हिस्सा (₹30 lakh-18.75 लाख) : ₹11.25 लाख

जोखिम भार (ख) और (ड.) - काउंटर पार्टी से जुड़े

(घ) पर जोखिम भार - शून्य

******

अनुबंध 6.2

आवास वित्त कंपनियों (एचएफ़सी) की आवासीय संपत्तियों की बंधक समर्थित प्रतिभूति (एमबीएस) में निवेश हेतु पूंजी पर्याप्तता के लिए उदार जोखिम भार के प्रयोजन संबंधी नियम और शर्तें

(*अनुबंध 6 के मद* (*ए*)(II)(12) *के तहत*)

1(ए) प्रतिभूतिकृत आवास ऋण और उसके तहत प्राप्य राशियों में एक आवास वित्त कंपनी का अधिकार, शीर्षक और हित अपरिवर्तनीय रूप से एक विशेष प्रयोजन तंत्र (एसपीवी) / ट्रस्ट के पक्ष में सौंपा जाना चाहिए।

1(बी) प्रतिभूतिकृत आवास ऋणों के अंतर्गत गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों को एसपीवी/ट्रस्ट द्वारा विशेष रूप से निवेशकों की ओर से और उनके लाभ के लिए रखा जाना चाहिए।

1(सी) एसपीवी या ट्रस्ट प्रतिभूतिकृत ऋण के तहत प्राप्य राशि का हकदार होगा लेकिन वह इस करार के अधीन होगा कि एमबीएस के जारी संबंधी शर्तों के अनुसार इसको निवेशकों में बांटा जाएगा। ऐसी व्यवस्था मूल एचएफसी को सर्विसिंग और भुगतान करने वाले एजेंट के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान करेगी। हालांकि, मूल एचएफसी एक विक्रेता, प्रबंधक, सेवादार या ऋण वृद्धि या तरलता सुविधाओं के प्रदाता के रूप में एक प्रतिभूतिकरण लेनदेन में भाग ले रहा है:

i. एसपीवी में कोई शेयर पूंजी नहीं होगी या संपत्ति की खरीद और प्रतिभूतिकरण के लिए माध्यम (वेहिकल) के रूप में उपयोग किए जाने वाले ट्रस्ट के लाभार्थी नहीं होंगे;

ii. एसपीवी का नाम इस तरह से नहीं रखेगा जैसे बैंक के साथ कोई संबंध लगे;

iii. एसपीवी के बोर्ड में कोई निदेशक, अधिकारी या कर्मचारी नहीं होंगे, जब तक कि बोर्ड में कम से कम तीन सदस्यों हो और जहां स्वतंत्र निदेशकों का बहुमत हो। इसके अलावा, बैंक का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों के पास वीटो शक्तियां नहीं होंगी;

iv. प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एसपीवी को नियंत्रित नहीं करेगा; या

v. प्रतिभूतिकरण लेनदेन से या इसमें शामिल निवेशकों द्वारा उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान का समर्थन नहीं करेगा या लेनदेन के किसी भी आवर्ती खर्च को वहन नहीं करेगा।

1(डी) प्रतिभूतिकृत किए जाने वाले ऋण व्यक्तियों को आवासीय मकानों के अधिग्रहण/निर्माण के लिए दिए गए ऋण होंगे जिन्हें विशेष प्रथम शुल्क के रूप में आवास वित्त कंपनी को गिरवी रखा जाना चाहिए था।

1(ई) प्रतिभूतिकृत किए जाने वाले ऋणों को एसपीवी को सौंपे जाने के समय किसी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा निवेश ग्रेड क्रेडिट रेटिंग प्रदान की जाएगी।

1(एफ़) डिफ़ॉल्ट की स्थिति में निवेशक जारीकर्ता - एसपीवी – को वसूली के लिए कदम उठाने और एमबीएस जारी करने की शर्तों के अनुसार निवेशकों को निवल आय वितरित करने के लिए बुलाने के हकदार होंगे।

1(जी) एमबीएस जारी करने वाले एसपीवी व्यक्तिगत आवास ऋण के एमबीएस के जारी और और प्रशासन के व्यवसाय के अलावा किसी अन्य कारोबार में शामिल नहीं होंगे।

1(एच) एमबीएस की जारी का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त एसपीवी या ट्रस्टी भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे।

2. यदि एमबीएस का मुद्दा ऊपर पैरा **1** में बताए गए नियमों और शर्तों के अनुसार है और इसमें विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी)/ट्रस्ट को आवास ऋण परिसंपत्तियों के जोखिम और रिवार्ड का अपरिवर्तनीय हस्तांतरण शामिल है, तो किसी भी बैंक द्वारा ऐसे एमबीएस में किए गए निवेश को प्रतिभूतिकृत आवास ऋण की उत्पत्ति करने वाली एचएफसी पर एक्सपोजर के रूप में नहीं माना जाएगा। हालांकि, इसे एसपीवी/ट्रस्ट की अंतर्निहित परिसंपत्तियों पर एक्सपोजर के रूप में माना जाएगा।

अनुबंध 6.3

अवसंरचना सुविधा से संबंधित प्रतिभूतिकृत कागज में निवेश पर रियायती जोखिम भार प्राप्त करने की शर्तें

(*अनुबंध 6 के मद सं* (ए)(II)(14) *द्वारा*)

1. अवसंरचना सुविधा दिनांक 16 जून 2004 के हमारे परिपत्र डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.92/ 21.04.048/2002-2003 में निर्धारित शर्तों को संतुष्ट करना चाहिए।

2. अवसंरचना सुविधा आय/नकदी प्रवाह उत्पन्न करेगी जो प्रतिभूतिकृत कागज की सर्विसिंग/पुनर्भुगतान सुनिश्चित करेगी।

3. प्रतिभूतिकृत कागज को रेटिंग एजेंसियों द्वारा कम से कम 'एएए' का दर्जा दिया जाना चाहिए और रेटिंग वर्तमान और वैध होनी चाहिए। जिस रेटिंग पर भरोसा किया गया है उसे वर्तमान और वैध माना जाएगा यदि:

   (क) निर्गम के खुलने की तारीख को रेटिंग एक महीने से अधिक पुरानी नहीं है, और रेटिंग एजेंसी से प्राप्त रेटिंग निर्गम के खुलने की तारीख को एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं है, और रेटिंग पत्र और रेटिंग मूलाधार, प्रस्ताव दस्तावेज़ का एक हिस्सा है।

   (ख) द्वितीयक बाजार अधिग्रहण के मामले में, निर्गम की 'एएए' रेटिंग लागू होनी चाहिए और संबंधित रेटिंग एजेंसी द्वारा प्रकाशित मासिक बुलेटिन से इसकी पुष्टि की जानी चाहिए।

   (ग) प्रतिभूतिकृत कागज निवेश/उधार देने वाली संस्था के बही-खाते कार्यनिष्पादन करनेवाली परिसंपत्ति के रूप में होगी।

अनुबंध 6.4

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के उत्पाद बिजनेस क्रेडिट शील्ड के तहत बीमा कवर द्वारा कवर किए गए अग्रिमों के लिए रियायती जोखिम भार प्राप्त करने की शर्तें

(अनुबंध 6 के मद (अ)(III)(10) के द्वारा)

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईए) बीमा अधिनियम, 1938 के प्रावधानों, उसके तहत बनाए गए विनियमों का पालन करेगी - विशेष रूप से वे जो समाप्त न हुए जोखिमों के लिए रिजर्व और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं की संपत्ति, देयताएं और सॉल्वेंसी मार्जिन) विनियम, 2000 से संबंधित हैं और कोई अन्य शर्तें/विनियम जो भविष्य में आईआरडीए द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं, यदि उनका बीमा उत्पाद - बिजनेस क्रेडिट शील्ड (बीसीएस) - उपरोक्त उपचार के लिए अर्हता प्राप्त करना है।

2. एनआईए की बीसीएस नीति द्वारा कवर किए गए निर्यात ऋण संबंधी उपरोक्त विनियामक उपचार के लिए पात्र होने के लिए, **बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि:**

(क) बीसीएस नीति इसके पक्ष में सौंपी गई है, और

(ख) एनआईए बीमा अधिनियम, 1938 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों का पालन करता है, विशेष रूप से अनपेक्षित जोखिमों के लिए रिजर्व से संबंधित और बीमा विनियामकीय और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं की संपत्ति, देयताएं और सॉल्वेंसी मार्जिन) विनियम, 2000, और किसी भी अन्य शर्तें/विनियम जो भविष्य में आईआरडीए द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।

3. बैंक निर्यातकों को अग्रिमों के लिए अलग खाता (खाते) बनाए रखेंगे, जो कि जोखिम भार/प्रावधानों के आसान प्रशासन/सत्यापन को सक्षम करने के लिए "बिजनेस क्रेडिट शील्ड" के तहत बीमा द्वारा कवर किए गए हैं।